भारत सरकार/ Government of India
रेल मंत्रालय/ Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/ Railway Board)

सं. 2021/सिक(ई)/डीएआर-3/3 नई दिल्ली, दिनांक: 27.05.2021

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा बल
सभी क्षेत्रीय रेलें, केआरसीएल रेसुविबल, अअमासं, मेट्रो रेल
सभी उत्पादन इकाइयां, निर्माण, कोर
निदेशक/जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ
निदेशक प्रशिक्षण केंद्र/मौलाअली एवं प्रशिक्षण केंद्र खड़गपुर

सुरक्षा परिपत्र सं. 04 /2021

विषय: रेल सुरक्षा बल द्वारा हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा करने में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अनुदेश।

******

रेल सुरक्षा बल, "रेल अधिनियम, 1989" और "रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्ज़ा) अधिनियम 1966" के अंतर्गत उल्लिखित विभिन्न अपराधों के मामले दर्ज करता है और उनकी जाँच करता है। रेलवे सुरक्षा बल कर्मी "रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957" की धारा 12 के प्रावधानों के तहत भी गिरफ़्तारी करते हैं और उन्हें इस अधिनियम की धारा 14 में यथा-उल्लिखित पुलिस के पास भेजते हैं। "रेल अधिनियम" की धारा 180 और "रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्ज़ा) अधिनियम" की धारा 8 में गिरफ्तार किये गए व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ जाँच की प्रक्रिया ('किस प्रकार जाँच की जाए' शीर्ष के अंतर्गत) को स्पष्ट किया गया है। इन मामलो की जांच के लिए सभी जाँच अधिकारियों और पोस्ट कमांडरों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संशोधित 2013) के साथ पठित रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्ज़ा) अधिनियम की धारा 8 (2) अथवा रेल अधिनियम की धारा 180 - घ(2) में यथा-उल्लिखित जाँच की प्रक्रिया का पालन करना होता है।

हाल ही में, कुछ ऐसी घटनाएं प्रकाश में आयी हैं, जहाँ यह पाया गया है कि कुछ अधिकारियों ने क़ानूनी कार्यवाही के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रिहा करने की लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाई है। कुछ ऐसी भी घटनाएं देखी गई हैं जिनमें बन्ध पत्र या जमानतपत्र (जमानत योग्य अपराधों में) पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को रिहा करने में दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। ऐसे दृष्टांतों से प्रशासन को शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसके कारण बल की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः, ऐसे मामलों में प्रक्रिया के सम्बन्ध में बल के अधीनस्थ अधिकारियों को जागरूक करते हुए, प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के मद्देनज़र, रेल सुरक्षा बल द्वारा हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाएं -

1. की गई सभी गिरफ्तारियों को रोज़नामचा/दैनिक डायरी और संबंधित निर्धारित रजिस्टर में तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए।
2. दंड प्रक्रिया संहिता में यथा-उल्लिखित गिरफ्तारी की प्रक्रिया और संवैधानिक न्यायालयों द्वारा तत्संबंधित दिए गए विभिन्न निर्णयों का पालन किया जाना चाहिए।

किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से न तो हिरासत में लिया जाए और न ही जांच के लिए बुलाया जाए।

4. यदि किसी भी मामले में पूछताछ के लिए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है या जांच के लिए बुलाया जाता है तो उसका उल्लेख संबंधित रिकॉर्डों जैसे रोज़नामचा, दैनिक डायरी, केस डायरी आदि (मामले के अनुरूप) में किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के संबंध में की गई कार्रवाई के समुचित निपटान को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
5. ऐसे दृष्टान्त देखे गए हैं जहाँ रेल सुरक्षा बल कर्मी किसी व्यक्ति को जांच के लिए रेल सुरक्षा बल कार्यालय में बुलाते हैं और फिर उसे बॉण्ड/जमानतपत्र, बयान, सादे कागज़ आदि जैसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करते हैं। यदि इस प्रकार का कृत्य सिद्ध होता है तो उस कृत्य के लिए ज़िम्मेदार पाए गए रेल सुरक्षा बल कर्मी के खिलाफ निवारक (deterrent) दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
6. आरोपी या हिरासत में लिए गए/जांच के दौरान बुलाए गए व्यक्ति से कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना और पावती दिए बिना रेल सुरक्षा बल की अभिरक्षा में कुछ भी नहीं लिया जाना चाहिए।
7. दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रारूपों का ही बॉण्ड या जमानतपत्र के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
8. बॉण्ड या जमानतपत्र पर गिरफ्तार किए गए और रिहा किए गए प्रत्येक व्यक्ति की सूचना मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली माननीय निचली अदालत को उनके सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जानी चाहिए।
9. जमानत/जमानतपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति के बारे में सूचना से तुरंत मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त को अवगत कराया जाए।
10. बॉण्ड या जमानतपत्र पर अभियुक्तों की रिहाई के सभी मामलों को एक पृथक रजिस्टर में प्रलेखित किया जाना चाहिए जिनका पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पोस्ट एवं आउटपोस्ट पर उनके दौरों और निरीक्षणों के दौरान अवलोकन किया जाना चाहिए।
11. दंड प्रक्रिया संहिता में यथा-आदिष्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी गिरफ्तारियों और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति/व्यक्तियों के संबंध में सूचना सभी संबंधितों को दी जानी चाहिए।
12. जांच की प्रक्रिया को प्रारंभिक/पुनश्चर्या/अभिविन्यास(पदोन्नति) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनिवार्यतः शामिल किया जाना चाहिए।
13. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पोस्ट/आउट पोस्ट पर अपने दौरे के दौरान तथा कार्य निष्पादन की समीक्षा के दौरान मामलों के जाँच अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय उन्हें जानकारी भी दी जानी चाहिए।
14. किसी भी चूक/कार्य जो कानून के अनुसार न हो, के लिए गलती करने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपरोक्त अनुदेश सर्वग्राही (exhaustive) नहीं हैं। क्षेत्रीय रेलें कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर और न्याय की पारदर्शिता एवं प्रशासन के हित में पूरक अनुदेश जारी कर सकते हैं।

27/5/2021

(अरुण कुमार)
महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल